

फ़ावली राजस्व लोग अशक्त के रूप  
 पत्रपत्र में पेश हुई।  
 वारी ने अपने बाय पत्र में  
 शाहीन रूप से जाहिर किया की  
 जोधा पत्रपत्र के रोल राजस्व  
 नं० 559 रकबा 14 बीघा स्व० नं०  
 885/555 रकबा 07 बीघा कुल  
 रकबा 30 बीघा स्व० नं० 895/585  
 रकबा 26 बीघा जोधा पत्रपत्र में  
 सरदर में लिखत है, स्व० नं०  
 559 व स्व० नं० 585/555 कुल  
 वारी व जेरे भाइयों की सार्वदात्री  
 का है। कुल अराजी में जालियादी  
 संख्या 1 के नाम जालियादी लच्छा  
 1 व 2 ने राजस्व आवेगारियों से  
 मिल कर अशक्त तौर से स्व० नं०  
 895/585 अपने नाम जालियादी  
 संख्या 1 के नाम राजस्व आवेगारियों  
 में बिना कटका होते हुए तामील  
 करवा दी। जालियादी लच्छा 1 व 2 अती  
 बगली बिरदारों में आपास है वारी  
 अशक्त दिए तो वारी ने अशक्त  
 अनुमान होगा बिना कटका के  
 में नहीं होगा। अतः वारी ने बाय पत्र  
 में अपने हम लिखते हुए निवेदन  
 किया।  
 वारी श्री नारायणराम पुत्र मानाराम  
 व जालियादीगव संख्या - 1 व 2

ने आपकी राजीनामा पेश कर  
 सधमाती जादिक की जातिवादीगण  
 गरा विवादित आकापी मे 20  
 योग के भीतर उम्मा अति क्रमण  
 हयान हेतु आपकी राजीनामा लप  
 किया गया।

शता वादी का वाद आपकी  
 राजीनामा होने से वाद श्वारिज  
 किया जाता है।

पत्रावली के पत्र सुभार होकर  
 शारिज दफ्तर हो।

आदेश न्याय आचम उर के पत्र  
 पत्रपदरा के सुनाया गया।

(भागीस्थ राम)

नि अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
 बालोतरा कैम्प.....